

कार्यालय आदेश संख्या- 30/17

श्री मो. रेफाक बेग, वाणिज्य अधीक्षक गाजीपुर में से इन्हें बनवाप्र/वाराणसी द्वारा जारी एन.आई.पी. संख्या-का/विभागीय/अना.अनु/रेफाक बेग/दीर्घ दिनांक-10.04.17 द्वारा तत्काल दिनांक-10.04.17 को रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) दण्ड आरोपित किया गया था, के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या-23/17 पृष्ठांकन समसंख्यक पत्र दिनांक-12.04.17 द्वारा दिनांक-10.04.17 (तत्काल प्रभाव) से अनिवार्य सेवानिवृत्त (Compulsory Retirement) किया गया था को कर्मचारी के अपील पर अमरेप्र महोदय द्वारा जारी एन.आई.पी. संख्या-का/विभागीय/अना.अनु/रेफाक बेग/दीर्घ दिनांक-01.05.17 द्वारा अधिरोपित दण्ड (रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्त) किये जाने के स्थान पर "इन्हे इनके वर्तमान वेतनमान-(9300-34800+4600 ग्रेड पे/लेवल-7) के मूल वेतन से दो स्तर नीचे घटाकर उसी वेतनमान 9300-34800+4600 ग्रेड पे (लेवल 7) में तीन वर्ष के लिए अस्थायी प्रभाव से वेतन निर्धारित किये जाने का दण्ड दिया जाता है आदेश पारित किया है। श्री बेग को रेल सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) किये जाने की तिथि-10.04.17 से कार्य पर वापस लिये जाने की तिथि तक को डाइज नान माना जायेगा"।

कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी
दिनांक-03.05.17

- संख्या-का/वा/पीसी/एम.आर वेग
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. बनवाप्र/वारा
 2. अमरेप्र/वाराणसी
 3. कार्यालय आदेश पुस्तिका
 4. कार्याधी परिचालन बिल
 5. स्टेडी/मुटिनी/गाजीपुर
 6. संबन्धित कर्मचारी
 7. मंडल मंत्री नरमू अजा जजजा एसों. वाराणसी
 8. अन्य प्रति


कृते मंडल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी